महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या: 06/2018/152/38-10-18-9/18

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक: 13 जुलाई, 2018

विषय:- प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित पात्र लोगों को उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कराकर प्रभावी रूप से लागू कराए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 05/2018/149/38-10-2018-9/18 दिनांक 12 जुलाई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्तमान में प्रदेश में संचालित विकास, कल्याणकारी एवं लाभार्थीपरक योजनाओं, यथा-विभिन्न पेंशन, अन्त्योदय राशन कार्ड/पात्र गृहस्थी राशन कार्ड, मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजनान्तर्गत (आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन) छूटे हुये पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन करने के उददेश्य से एक सर्वेक्षण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

2. उक्त सर्वेक्षण में निम्नलिखित कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है:-

क्र सं	कार्यक्रम	कार्यदायी विभाग
1	पति की मत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को पेंशन वितरण	महिला कल्याण विभाग
2	वृद्धावस्था/किसान पेंशन	समाज कल्याण
3	दिव्यांगजन पेंशन	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
4	अन्त्योदय राशन कार्ड	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
5	पात्र गृहस्थी राशन कार्ड	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग
6	मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण	ग्राम्य विकास विभाग
7	प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी	नगर विकास विभाग
8	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन)	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12 जुलाई, 2018 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं (यथा: उक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित कार्यक्रमों/योजनाओं) के अन्तर्गत पात्र एवं छूटे हुए/वंचित लाभार्थियों का सर्वेक्षण कार्य हेतु प्रश्नावली प्रारूप संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 12 जलाई, 2018 के प्रस्तर-4 में निर्धारित समय-सीमा के अनुसार सर्वेक्षण कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4- जिलाधिकारी, प्रत्येक कार्यक्रम के सर्वेक्षण आंकड़ों को हार्ड एवं साफट कापी में कार्यक्रम/योजना से संबंधित विभाग के प्रशासनिक विभाग तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध कराएंगे।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्या : 6/2018/152(1)/38-10-18-9/18 तददिनांकित

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण, महिला कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, खाद्य एवं आपूर्ति, नगर विकास एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
9. संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली प्रारूप
महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित
महिला पेंशन योजना।

क0सं0	विवरण	
1	आवेदिका का नाम–	
2	पति का नाम–	
3	ग्राम पंचायत का नाम–	
4	विकास खण्ड का नाम–	
5	जनपद का नाम–	
6	श्रेणी (अ0जा0 / अ0ज0जा0 / पिछड़ा)–	
7	आधार नम्बर–	
8	बैंक का नाम व शाखा –	
9	बैंक खाता संख्या –	
10	आई0एफ0एस0सी0 कोड–	

प्रश्न–1 क्या आवेदिका उत्तर प्रदेश की निवासी है ?
उत्तर– हॉ / नहीं।

प्रश्न–2 क्या आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी है ?
उत्तर– हॉ / नहीं।

प्रश्न–3 क्या आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम है ?
उत्तर– हॉ / नहीं।

प्रश्न–4 क्या आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रू0 2.00 लाख से अधिक है ?
उत्तर– हॉ / नहीं।

प्रश्न–5 क्या आवेदिका को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी भी योजना से पेंशन प्राप्त हो रही है ?
उत्तर– हॉ / नहीं।

निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत आवेदिका पात्र / आपात्र है ?

(डा0 अमरीश कुमार सिंह)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

सर्वेक्षण प्रपत्र क्रमांक .....

समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना हेतु सर्वेक्षण का प्रारूप

(ग्रामीण क्षेत्र हेतु)

जनपद का नाम _____ तहसील का नाम _____

विकास खण्ड का नाम _____

ग्राम पंचायत का नाम _____ राजस्व ग्राम का नाम _____

राजस्व ग्राम का जनगणना कोड _____

1. सर्वेक्षण किये जाने वाले का नाम _____
2. पिता/पति का नाम _____
3. स्थाई पता _____
4. जन्म तिथि _____ आयु (1 जुलाई, 2018 को) _____
5. वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्तजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य) _____
6. परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण:–

क्र0 सं0	नाम	आयु (01 जुलाई, 2018 को)	शैक्षिक योग्यता	सर्वेक्षण किये जाने वाले व्यक्ति से सम्बन्ध	अन्य विवरण
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

नोट–(परिवार का अर्थ स्वयं, उसकी पत्नी/पति, नाबालिग पुत्र, अविवाहित पुत्री, आश्रित माता–पिता से है)

7. आधार पहचान क्रमांक[1] _____ 8. मतदाता पहचान पत्र क्रमांक[1] _____
9. परिवार के समस्त सदस्यों के पास उपलब्ध कुल कृषि योग्य भूमि (एकड़ में) _____
10. परिवार में आमदनी का स्रोत:–
    (अ) सरकारी नौकरी _____ (ब) प्राइवेट नौकरी _____
    (स) स्वयं का व्यवसाय _____ (द) कृषि _____
    (य) अन्य (कृपया विवरण दें) _____
    (यदि एक से अधिक आमदनी के स्रोत हैं तो कृपया सभी का विवरण दें)
11. उपरोक्त के क्रम में परिवार की कुल वार्षिक आय (अंकों में) _____ शब्दों में _____
    (प्रमाण के रूप में तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र/ अन्य अभिलेखीय साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न करें।)
12. क्या परिवार बी0पी0एल0 की श्रेणी में आता है ? (हाँ/ना) _____
    (यदि हाँ तो बी0पी0एल0 कार्ड/संख्या का विवरण) _____
13. मोबाइल नम्बर(यदि हो, तो)– _____
14. बैंक खाता संख्या _____
    (IFSC Code) _____

(डा0 अन्दरीश कुमार सिंह)
अपर निदेशक
समाज कल्याण विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

C.S.
3
2018

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सर्वेक्षण किये जाने वाले व्यक्ति से सम्बन्धित अन्य विवरण

1. क्या परिवार निम्नलिखित से आच्छादित है ?
   I. अधिसूचित जनजाति समूह के परिवार — हाँ/नहीं ☐
   यदि हाँ तो समूह जनजाति का नाम ☐
   II. वनटांगिया/मुसहर समूह के परिवार। — हाँ/नहीं ☐
   III. भूमिहीन परिवार — हाँ/नहीं ☐
   IV. हाथ से मैला ढोने वाले परिवार/व्यक्ति। — हाँ/नहीं ☐
   V. क्या परिवार में ऐसे एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति है, जो शारीरिक रूप से अक्षम /चेहरा विकृत हो जाना/दृष्टिबाधित हो गये हैं ? — हाँ/नहीं ☐
   VI. ऐसे परिवार जिसकी मुखिया एकल महिला (विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता) हो। — हाँ/नहीं ☐
   VII. ऐसे परिवार जिसमें 18 वर्ष से ऊपर दिव्यांगजन निवासरत है। — हाँ/नहीं ☐
   (यदि हाँ तो कृपया दिये संलग्नक में विवरण दें)
   VIII. क्या परिवार में अनाथ एवं नाबालिग बच्चे हैं ? — हाँ/नहीं ☐
   (यदि हाँ तो कृपया दिये संलग्नक में विवरण दें)
2. क्या सर्वेक्षण किये जाने वाला व्यक्ति गांव में निवासरत साधु, साध्वी अथवा सन्यासी है ? — हाँ/नहीं ☐
3. क्या परिवार निम्नलिखित वरीयता श्रेणी में कम से कम एक श्रेणी से आच्छादित है?
   I. ऐसे परिवार, जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के विकलांग बच्चे हो(विकलांग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) — हाँ/नहीं ☐
   II. एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्ति अथवा बच्चों से सम्बन्धित परिवार। — हाँ/नहीं ☐
   III. क्या परिवार के पास 01 हेक्टेयर सिंचित अथवा 02 हेक्टेयर असिंचित भूमि (बुन्देलखण्ड क्षेत्र, मिर्जापुर एवं सोनभद्र क्षेत्र के लिए क्रमशः 02 हेक्टेयर सिंचित अथवा 04 हेक्टेयर असिंचित भूमि) से कम भूमि है ? — हाँ/नहीं ☐
4. क्या परिवार निम्न में से किसी से आच्छादित है(कृ0 टिक करें) ?
   वृद्धावस्था पेंशन ☐ विधवा पेंशन ☐ विकलांग पेंशन ☐
5. क्या परिवार में मोटरराज्ड वाहन है (कृ0 टिक करें) ?
   जीप ☐ कार ☐ थ्रीव्हीलर ☐ स्कूटर ☐ मोटरसाइकिल ☐
   ट्रैक्टर ☐ कोई अन्य प्रकार ☐
6. परिवार का कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी संगठनों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है, और उसकी वार्षिक आय बी0पी0एल0 आय-सीमा से अधिक है:- हाँ/नहीं ☐
7. परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है। — हाँ/नहीं ☐

सर्वेक्षण किये जाने वाले व्यक्ति का
हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान
दिनांक सहित

(डा0 अब्दीश कुमार सिंह)
अपर सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सर्वे में पूछे गये प्रश्न संख्या 1 (VII) का विस्तृत विवरण

1. परिवार में 18 वर्ष से ऊपर दिव्यांगजनों का विवरण :–

क्र0स0	नाम	आयु (1 जुलाई 2018 को)	दिव्यांगता का प्रकार	दिव्यांगता का प्रतिशत	दिव्यांगत्व प्रमाण–पत्र की संख्या / दिनांक

(अ) दिव्यांगता का प्रकार उदाहरणार्थ :– अंधत्व, हाथ / पैर का न होना, कर्णबधिर, इत्यादि।

सर्वे में पूछे गये प्रश्न संख्या 1 (VIII) का विस्तृत विवरण

2. परिवार में अनाथ एवं नाबालिग बच्चों का विवरण :–

क्र0स0	नाम	आयु (1 जुलाई 2018 को)	दिवंगत माता –पिता का नाम	संरक्षक का नाम	संरक्षक से सम्बन्ध

टिप्पणी:– 1 आधार पहचान क्रमांक, मतदाता पहचान–पत्र की सूचना अनिवार्य नही है।
2 बैंक खाता संख्या व (IFSC Code) जोड देना आवश्यक है।

सर्वेकर्ता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती ..... पिता / पति ..... निवासी .....का सर्वे फार्म मेरे द्वारा स्वयं सर्वेक्षण किये गये व्यक्ति की उपस्थिति में उसके द्वारा दी गयी जानकारी एवं उपलब्ध अभिलेखीय प्रपत्रों / साक्ष्यों के आधार पर जानकारी करके भरा / भराया गया है।

दिनांक:–

सर्वेकर्ता का हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
नाम.....
पदनाम.....
विभाग.....

O.S. 8 J.D

(डा0 अमरीश कुमार सिंह)
अपर सचिव
ग्राम विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजना हेतु सर्वेक्षण का प्रारूप

(शहरी क्षेत्र हेतु)

जनपद का नाम _____ तहसील का नाम _____

नगर निकाय का नाम _____

वार्ड का नाम _____ मोहल्ला का नाम _____

वार्ड का जनगणना कोड _____

1. सर्वेक्षण किये जाने वाले का नाम _____
2. पिता/पति का नाम _____
3. स्थाई पता _____
4. जन्म तिथि _____ आयु (1 जुलाई, 2018 को) _____
5. वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्तजाति/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य) _____
6. परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण:–

क्र0 सं0	नाम	आयु (01 जुलाई, 2018 को)	शैक्षिक योग्यता	सर्वेक्षण किये जाने वाले व्यक्ति से सम्बन्ध	अन्य विवरण
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

नोट–(परिवार का अर्थ स्वयं, उसकी पत्नी/पति, नाबालिग पुत्र, अविवाहित पुत्री, आश्रित माता–पिता से है)

7. आधार पहचान क्रमांक[1] _____ 8. मतदाता पहचान पत्र क्रमांक[1] _____
9. परिवार के समस्त सदस्यों के पास उपलब्ध कुल कृषि योग्य भूमि (*एकड़ में*) _____
10. परिवार में आमदनी का स्रोत:–
    (अ) सरकारी नौकरी _____ (ब) प्राइवेट नौकरी _____
    (स) स्वयं का व्यवसाय _____ (द) कृषि _____
    (य) अन्य (कृपया विवरण दे) _____
    (यदि एक से अधिक आमदनी के स्रोत हैं तो कृपया सभी का विवरण दें)
11. उपरोक्त के क्रम में परिवार की कुल वार्षिक आय (अंकों में) _____ शब्दों में _____
    (प्रमाण के रूप में तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र/ अन्य अभिलेखीय साक्ष्य की छायाप्रति संलग्न करें।)
12. क्या परिवार बी0पी0एल0 की श्रेणी में आता है ? (हाँ/ना) _____
    (यदि हाँ तो बी0पी0एल0 कार्ड/संख्या का विवरण) _____
13. मोबाइल नम्बर(यदि हो, तो)– _____
14. बैंक खाता संख्या _____
    (IFSC Code) _____

5

(डा0 अरविन्द कुमार सिंह)
अपर निदेशक
समाज विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

सर्वेक्षण किये जाने वाले व्यक्ति से सम्बन्धित अन्य विवरण

1. क्या परिवार निम्नलिखित से आच्छादित है ?
   I. अधिसूचित जनजाति समूह के परिवार — हाँ / नहीं
   यदि हाँ तो समूह जनजाति का नाम
   II. घनटांरिया / गुसहर समूह के परिवार। — हाँ / नहीं
   III. भूमिहीन परिवार — हाँ / नहीं
   IV. हाथ से मैला ढोने वाले परिवार / व्यक्ति। — हाँ / नहीं
   V. क्या परिवार में ऐसे एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्ति है, जो शारीरिक रूप से अक्षम / चेहरा विकृत हो जाना / दृष्टिबाधित हो गये हैं ? — हाँ / नहीं
   VI. ऐसे परिवार जिसकी मुखिया एकल महिला (विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता) हो। — हाँ / नहीं
   VII. ऐसे परिवार जिसमें 18 वर्ष से ऊपर दिव्यांगजन निवासरत हैं। — हाँ / नहीं
   (यदि हाँ तो कृपया दिये संलग्नक में विवरण दें)
   VIII. क्या परिवार में अनाथ एवं नाबालिग बच्चे हैं। — हाँ / नहीं
   (यदि हाँ तो कृपया दिये संलग्नक में विवरण दें)
2. क्या सर्वेक्षण किये जाने वाला व्यक्ति नगर निकाय में निवासरत साधु, साध्वी अथवा सन्यासी हैं। — हाँ / नहीं
3. क्या परिवार निम्नलिखित वरीयता श्रेणी में कम से कम एक श्रेणी से आच्छादित है:–
   I. ऐसे परिवार, जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के विकलांग बच्चे हो(विकलांग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें) — हाँ / नहीं
   II. एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्ति अथवा बच्चों से सम्बन्धित परिवार। — हाँ / नहीं
   III. क्या परिवार के पास 01 हेक्टेयर सिंचित अथवा 02 हेक्टेयर असिंचित भूमि (बुन्देलखण्ड क्षेत्र, मिर्जापुर एवं सोनभद्र क्षेत्र के लिए क्रमशः 02 हेक्टेयर सिंचित अथवा 04 हेक्टेयर असिंचित भूमि) से कम भूमि है। — हाँ / नहीं
4. क्या परिवार निम्न में से किसी से आच्छादित है(कृ0 टिक करें):–
   वृद्धावस्था पेंशन ☐ विधवा पेंशन ☐ विकलांग पेंशन ☐
5. क्या परिवार में मोटरयुक्त वाहन है (कृ0 टिक करें):–
   जीप ☐ कार ☐ श्रीव्हीलर ☐ स्कूटर ☐ मोटरसाइकिल ☐
   ट्रैक्टर ☐ कोई अन्य प्रकार ☐
6. क्या परिवार के पास सम्बन्धित नगरीय निकाय अथवा अन्य निकायों में 100 वर्गमीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय मकान / फ्लाट अथवा फ्लैट है :– — हाँ / नहीं
7. परिवार का कोई सदस्य सरकारी / अर्द्धसरकारी / निजी संगठनों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है, और उसकी वार्षिक आय बी0पी0एल0 आय–सीमा से अधिक है:– हाँ / नहीं
8. परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता है। — हाँ / नहीं

सर्वेक्षण किये जाने वाले व्यक्ति का
हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान
दिनांक सहित

(डा0 आशुतोष कुमार सिंह)
अपर आयुक्त
अन्य पिछड़ा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सर्वे में पूछे गये प्रश्न संख्या 1 (VII) का विस्तृत विवरण

8. परिवार में 18 वर्ष से ऊपर दिव्यांगजनों का विवरण :–

क्र0स0	नाम	आयु (1 जुलाई 2018 को)	दिव्यांगता का प्रकार	दिव्यांगता का प्रतिशत	दिव्यांग प्रमाण–पत्र की संख्या / दिनांक

(अ) दिव्यांगता का प्रकार उदाहरणार्थ :– अंधत्व, हाथ/पैर का न होना, कर्णबधिर, इत्यादि।

सर्वे में पूछे गये प्रश्न संख्या 1 (VIII) का विस्तृत विवरण

9. परिवार में अनाथ एवं नाबालिग बच्चों का विवरण :–

क्र0स0	नाम	आयु (1 जुलाई 2018 को)	दिवंगत माता –पिता का नाम	संरक्षक का नाम	संरक्षक से सम्बन्ध

सर्वेकर्ता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... पिता/पति ..... निवासी .....का सर्वे फार्म मेरे द्वारा स्वयं सर्वेक्षण किये गये व्यक्ति की उपस्थिति में उसके द्वारा दी गयी जानकारी एवं उपलब्ध अभिलेखीय प्रपत्रों/साक्ष्यों के आधार पर जानकारी करके भरा/भराया गया है।

दिनांक:–

सर्वेकर्ता का हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
नाम.....
पदनाम.....
विभाग.....

C.S. 3 J.D

(डा0 अम्बरीश कुमार सिंह)
अपर निदेशक
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

7

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

दिव्यांग पेंशन योजना

सर्वेक्षण प्रारूप

क्रम संख्या	विवरण	
1	लाभार्थी का नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3	जन्मतिथि	
4	लिंग (पुरुष/महिला)	
5	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	
6	विकास खण्ड/तहसील का नाम	
7	जनपद का नाम	
8	श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/सामान्य)	
9	दिव्यांगता की श्रेणी व प्रतिशत	
10	वार्षिक आय	
11	आधार नम्बर	
12	बैंक खाता संख्या	
13	बैंक का नाम व शाखा	
14	आई0एफ0एस0सी0 कोड	

सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली प्रारूप

प्रश्न 1– क्या दिव्यांगजन निर्धनता रेखा (शहरी क्षेत्र में रू0 56460 और ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080) के नीचे जीवन–यापन करने वाला व्यक्ति है ?
उत्तर – हाँ/नही

प्रश्न 2– क्या दिव्यांगजन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है ?
उत्तर – हाँ/नही

प्रश्न 3– क्या दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश का निवासी है ?
उत्तर – हाँ/नही

प्रश्न 4– क्या दिव्यांगजन की दिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक है ?
उत्तर – हाँ/नही

प्रश्न 5– क्या दिव्यांगजन पूर्व से राज्य सरकार की किसी पेंशन योजना से आच्छादित है ?
उत्तर – हाँ/नही

प्रश्न 6– क्या दिव्यांगजन द्वारा किसी पेंशन हेतु पूर्व में आवेदन किया गया है ?
उत्तर – हाँ/नही

प्रश्न 7– यदि हाँ तो क्या आवेदन निस्तारित हुआ या नहीं ?
उत्तर – हाँ/नही

(डा0 अभयवीर सिंह सुमार (सिंह))
अपर निदेशक
दिव्यांगजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

10/09/18
अभिरेश कुमार
मधुरेन्द्र कुमार पति
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग 7388880984

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रदेश में सर्वेक्षण कार्य हेतु खाद्य एवं रसद विभाग से सम्बन्धित प्रश्नावली (पात्र गृहस्थीकार्ड हेतु)

ग्राम विकास विभाग के कैबिनेट नोट हेतु अभिमत के क्रम में अवगत कराना है कि खाद्य तथा रसद विभाग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन कुल दो श्रेणियों में किया जाता है। प्रथम अन्त्योदय श्रेणी तथा द्वितीय पात्र गृहस्थी श्रेणी। प्रदेश में अन्त्योदय श्रेणी की अन्तर्गत परिवारों की लक्षित संख्या निश्चित है, जो पूर्व से ही संतृप्त है। पात्र गृहस्थी श्रेणी में शामिल करने हेतु निम्न बिन्दुओं का परीक्षण कर राशनकार्ड निर्गत किये जाते है, जो प्रश्नावली के रूप में निम्नवत् है :–

1. क्या मुखिया या परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है ?	हाँ		नहीं	
2. परिवार में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर है ?	हाँ		नहीं	
3. परिवार में एसी0 है ?	हाँ		नहीं	
4. परिवार में 5 केवीएए0 या उससे अधिक का जनरेटर है ?	हाँ		नहीं	
5. परिवार के समस्त सदस्यों के पास कुल उपलब्ध सिंचित भूमि (एकड़ में)				
6. क्या परिवार के पास 100 वर्गमीटर से अधिक का स्व–अर्जित आवासीय मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक का कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट है ? (केवल शहरी क्षेत्र हेतु)	हाँ		नहीं	
7. क्या परिवार के पास 60 वर्गमीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान है ? (केवल शहरी क्षेत्र हेतु)	हाँ		नहीं	
8. क्या परिवार के पास एक से अधिक शस्त्र लायसेंस उपलब्ध है ?	हाँ		नहीं	
9. परिवार के कुल सदस्यों की कुल वार्षिक आय (रूपये में)				
10. परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग, अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एवं इस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरूष नही है।	हाँ		नहीं	
11. आवासहीन परिवार (उसी शहरी / ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हों)	हाँ		नहीं	
12. क्या परिवार, ऐसे आवास में रहता है, जो कच्चा / झोपड़ी / छप्पर है ?	हाँ		नहीं	
13. क्या परिवार के मुखिया का आधार कार्ड बना है ?	हाँ		नहीं	
14. क्या मुखिया के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों का आधार कार्ड बना है ?	हाँ		नहीं	
15. क्या परिवार के मुखिया का बैंक एकाउण्ट है ?	हाँ		नहीं	

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव
ग्राम विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली प्रारूप

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

क्रम संख्या	विवरण	
1.	परिवार के मुखिया का नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	ग्राम पंचायत का नाम/ कोड	
4.	विकास खंड का नाम	
5.	जनपद का नाम	
6.	श्रेणी [अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य (पिछड़ा वर्ग सहित)]	
7.	आधार नंबर	
8.	बैंक खाता संख्या	
9.	बैंक का नाम व शाखा	
10.	IFSC कोड	

खण्ड-1

प0सं0	प्रश्न	उत्तर (हाँ/ नहीं)
1.	क्या परिवार दिनांक 01.04.2017 या उसके पश्चात घटित किसी प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत, आवासीय सुविधा न होने के कारण छत विहीन एवं आश्रयविहीन है व उसको राजस्व विभाग से मकान के पूर्णतः क्षतिग्रस्त एवं अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आवंटित की जाने वाली धनराशि रु0 95,100.00 प्राप्त नहीं हुई है ?	
2.	क्या परिवार कालाजार से प्रभावित है व आवासविहीन है या कच्चे/ जर्जर आवास में निवास कर रहा है ?	
3.	क्या परिवार चन्दौनिया/ मुसहर वर्ग का(जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित) है व आवासविहीन है या कच्चे/ जर्जर आवास में निवास कर रहा है ?	
4.	क्या परिवार JAPANESE ENCEPHALITIS (जे0ई0/ए0ई0एस0) से प्रभावित है व आवासविहीन है या कच्चे/ जर्जर आवास में निवास कर रहा है ?	
5.	क्या परिवार सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 पर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता सूची में समाहित नहीं है व आवासविहीन है या कच्चे/ जर्जर आवास में निवास कर रहा है ?	

उपर्युक्त 05 प्रश्नों में किसी भी प्रश्न का उत्तर "हाँ" होने की स्थिति में आगे पूछे जाने वाले प्रश्नः-

खण्ड-2

प्रस्तुत तालिका में किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ होने की स्थिति में परिवार स्वतः ही आवास हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित होगा।		
प0सं0	प्रश्न	उत्तर (हाँ/ नहीं)
1	क्या परिवार आश्रयविहीन है?	
2	क्या परिवार बेसहारा/ भीख मांग कर जीवनयापन कर रहा है ?	
3	क्या परिवार हाथ से मैला ढोने की श्रेणी का है?	
4	क्या परिवार आदिम जनजातीय समूह की श्रेणी का है?	
5	क्या परिवार वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर की श्रेणी का है ?	

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अपर आयुक्त
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

खण्ड-3		
प्रस्तुत तालिका में किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ होने की स्थिति में परिवार स्वतः ही आवास हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं होगा।		
प्र0सं0	प्रश्न	उत्तर (हाँ/ नहीं)
1	क्या परिवार के पास मोटरयुक्त दोपहिया/ तिपहिया/ चौपहिया वाहन/ मछली पकड़ने की नाव है?	
2	क्या परिवार के पास मशीनी तिपहिया/ चौपहिया कृषि उपकरण है?	
3	क्या परिवार के पास रु0 50,000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड है?	
4	क्या परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है?	
5	क्या परिवार सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाला परिवार है?	
6	क्या परिवार का कोई सदस्य रु0 10,000 से अधिक प्रति माह कमा रहा है?	
7	क्या परिवार आयकर देने वाला परिवार है?	
8	क्या परिवार व्यवसाय कर देने वाला परिवार है?	
9	क्या परिवार के पास रेफ्रिजरेटर है?	
10	क्या परिवार के पास लैंड लाइन फोन है?	
11	क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है और कम से कम एक सिंचाई उपकरण है?	
12	क्या परिवार के पास दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है?	
13	क्या परिवार के पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि है और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण है?	
14	क्या परिवार के किसी सदस्य, जो संयुक्त रूप से एक साथ रह रहे हैं, को पूर्व में किसी आवासीय योजना का लाभ मिला है?	

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु पात्र/ अपात्र	

सर्वेक्षण का अन्य बिंदु	
यदि संयुक्त परिवार का कोई बालिग/ विवाहित सदस्य जो अलग रहने का दावा कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उनके माता/पिता की आवासीय स्थिति (बालिग /विवाहित सदस्यों की संख्या एवं पक्के कमरों की संख्या) अंकित की जायें।	

(डा0 अनवीष कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी के सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली

1. लाभार्थी का नाम:–
2. आयु:–
3. लाभार्थी के पिता/पति का नाम:–
4. वर्तमान पता:–
5. स्थायी पता:–
6. परिवार के सदस्यों का विवरण (पति–पत्नि एवं अविवाहित पुत्र/पुत्रिया, यदि पुत्र बालिग है एवं कमाऊ है, तो पृथक परिवार समझा जाएगा):–
7. मौजूदा आवास की स्थिति:–
   (अ) कच्चा/अर्द्ध पक्का/पक्का (ब) स्लाट है (स) किराये पर है।
   (i) यदि पक्का है तो कितने कमरे है?
   (ii) शौचालय है या नहीं।
   (iii) रसोई है या नहीं।
   (iv) पानी की स्थिति
   (v) बिजली की स्थिति
8. भू–स्वामित्व के सम्बन्ध में उपलब्ध दस्तावेज
   (यथा–बैनामा, रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट/पावर ऑफ अटार्नी, हाउस टैक्स की रसीद आदि की प्रति)
9. आधार कार्ड नम्बर:–
10. जाति (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनु0जाति/जनजाति):–
11. वैवाहिक स्थिति का विवरण (विवाहित, अविवाहित, एकल महिला/विधवा)
12. दिव्यांगता का विवरण:–
13. रोजगार की स्थिति:–
14. औसत मासिक आय (सभी स्रोतों से):–
15. परिवार की वार्षिक आय (सभी स्रोतों से):–
16. बैंक का नाम:–
17. बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड:–
18. मोबाइल नम्बर:–
19. किसी अन्य आवासीय योजना में यदि पूर्व में आवास आवंटन हुआ है, तो उसका विवरण:–
20. यदि परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना पक्का आवास है, तो उसका विवरण:–

दिनांक:–

(डा0 अम्बरीश कुमार सिंह)
अपर निदेशक
ग्राम्य विकास निदेशालय
उत्तर प्रदेश लखनऊ

(लाभार्थी का नाम व हस्ताक्षर)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रेषक,

विशेष सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

विशेष सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : एन0एच0पी0एम0/पत्रा-431-D/2018-19/५२४ लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 2018

विषय : आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (AB-NHPM) के अन्तर्गत एस0ई0सी0सी0 डाटाबेस की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा समाज के वंचित एवं गरीब वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन' प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत एस0ई0सी0सी0 डाटाबेस में सम्मिलित परिवारों को रू0-05 लाख की सीमा तक प्रति वर्ष प्रति परिवार फ्लोटर के आधार पर सूचीबद्ध निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जायेगा। एस0ई0सी0सी0 डाटाबेस के आधार पर चिन्हित परिवारों को समस्त सदस्य योजनान्तर्गत लाभार्थी होंगे।

एस0ई0सी0सी0 (Socio Economic Caste Census) का आधार निम्नवत् है:-

- ग्रामीण क्षेत्र के लिये अनुमन्यता

1) ऐसे परिवार जिनके पास कच्ची दीवार एवं कच्ची छत युक्त मात्र एक कमरे का मकान है। (D1-SECC)
2) ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 आयुवर्ग का कोई व्यस्क सदस्य नही है। (D2-SECC)
3) ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला है तथा परिवार में 16 से 59 आयुवर्ग का कोई व्यस्क पुरुष सदस्य नही है। (D3-SECC)
4) ऐसे परिवार जिनमें दिव्यांग सदस्य हो तथा कोई सक्षम व्यस्क नही है। (D4-SECC)
5) एस0सी0/एस0टी0 श्रेणी के परिवार। (D5-SECC)
6) भूमिहीन परिवार जिनकी आजीविका का मुख्य साधन छोटी-मोटी मजदूरी है। (D7-SECC)

स्वतः सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्र की अन्य श्रेणियां

1) ऐसे परिवार जिनके पास कोई आश्रय न हो,
2) दीन-हीन परिवार जो भिक्षा से आजीविका चलाता हो,
3) स्वच्छकार,
4) आदिकालीन जनजातीय परिवार,
5) विविध रूप से बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराये गये श्रमिक

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव
ग्राम्य विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

- शहरी क्षेत्र के लिये अनुमन्यता

1) कचरा उठाने वाला (Rag Picker)
2) भिखारी (Beggar)
3) घरेलू कार्य करने वाले (Domestic worker)
4) स्ट्रीट वेन्डर(Street vendor)/मोची(Cobbler)/ फेरी वाला (Hawker)/ सड़को पर कार्य करने वाले अन्य सभी सेवा–प्रदाता (Other service provider working on streets)
5) भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक (ConstructionWorker)/ प्लम्बर (Plumber) / राजगीर/राज मिस्त्री (Mason)/ श्रमिक(Labour) / पेंटर(Painter)/ वेल्डर(Welder) / सुरक्षा कर्मी(Security guard)/ कुली एवं अन्य श्रमिक बोझा ढोने वाले(Coolie and other head-load worker)-
6) स्वच्छक(Sweeper)/ सफाई–कर्मी (Sanitation worker)/ माली(Mali)
7) घरेलू काम–काज करने वाले कर्मी (Home-basedworker)/ शिल्पकार (Artisan) / हस्तकरघा श्रमिक(Handicrafts worker)/ दर्जी(Tailor)
8) परिवहन कर्मचारी (Transport worker)/ वाहन चालक(Driver)/ परिचालक(Conductor)/ खलासी (Helper to drivers and conductors)/ ठेलिया खींचने वाला (Cart puller) / रिक्शा चालक (Rickshaw puller)
9) दुकान में काम करने वाला (Shop worker)/ सहायक(Assistant)/ अनुसेवक(Peon in small establishment)/ सहायक(Helper)/ डिलिवरी सहायक (Delivery assistant)/ अनुचर (Attendant)/ बैरा (Waiter)
10) विद्युतकर्मी (Electrician)/ मेकेनिक (Mechanic)/ समुच्चयकर्ता (Assembler) मरम्मत कर्मी (Repair worker)
11) धोबी(Washer-man)/ चौकीदार (Chowkidar)

अतः कृपया उपरोक्त दर्शाये गये वर्गों में सम्मिलित परिवार को योजना का लाभ दिये जाने के विषय में अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश मिश्र)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।